प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, कोटा देहात थाना :– प्र.आ.केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023 प्र0सू0रि0 सं0 ......218/2023...... दिनांक......10/8/2023......

2. (1) अधिनियम– पी.सी.एक्ट (यथा संशोधित) 2018 धाराऐं–7 पी.सी.एक्ट (यथा संशोधित) 2018

(2) अधिनियम– धाराऐं –

(3) अधिनियम..........................धाराऐं..........................

(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन व दिनांक :–बुधवार दिनांक– 09.08.2023

(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 06.08.2023 समय :– 03:00 पी.एम.

(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ......197...... समय......8:00 pm......

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–

(क) थाने से दिशा एवं दूरी–ए.सी.बी. कोटा देहात से करीब 107 कि.मी. बजानिब दक्षिण–पूर्व

बीट संख्या..........................जुरामदेही सं..........................

(ख) पताः– तहसील कार्यालय, अटरु जिला बारां।

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–

(क) नाम :– श्री पवन कुमार धाकड

(ख) पिता का नाम :– श्री मोहनलाल

(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 33 साल

(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय

(ड़) पासपोर्ट संख्या....................जारी करने की तिथि..........................जारी करने का स्थान

(च) व्यवसाय –

(छ) पता :– ग्राम अन्ताना तहसील अटरु जिला बारां।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

(1) श्री जगदीशचंद पुत्र छोगालाल जाति कुम्हार उम्र 58 साल निवासी ग्राम गंदोलिया तहसील अटरू, जिला बारां हाल पटवारी पटवार हल्का अंताना, तहसील अटरू जिला बारां

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः –20,000रूपये

11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..........................

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

वाक्यात मामला इस प्रकार है कि परिवादी श्री पवन कुमार धाकड पुत्र श्री मोहन लाल धाकड, जाति धाकड, उम्र 33 साल, निवासी ग्राम अन्ताना. तहसील अटरु, जिला बारां ने उपस्थित कार्यालय होकर एक स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया कि "मुझे कार्यालय तहसील अटरु से दिनांक 20.07.2023 को इस आशय

का नोटिस मिला कि आप द्वारा ग्राम अंताना की खसरा नं. 933/1032 रकबा 0.45 हैक्टेयर किस्म चारागाह में लगे लगभग 22 पेडों को बिना अनुमति/स्वीकृति काट दिए गए हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 84 के विरुद्ध है तथा मुझसे तीन दिन में नोटिस का जवाब चाहा गया। जिसका जवाब मैने दिनांक 20.07.2023 को ही तहसीलदार साहब अटरु को दे दिया था। परंतु पटवारी श्री जगदीश चंद ने मेरे बडे भाई हनुमान प्रसाद को मेरे खिलाफ कार्यवाही का भय दिखाकर उससे पांच हजार रुपये प्राप्त कर लिए। परंतु अभी भी पटवारी श्री जगदीश चंद तथा श्री योगेन्द्र यादव तहसीलदार साहब अटरु द्वारा मुझसे उक्त मामले को रफा दफा करने की एवज में रिश्वती राशि 25000रु की मांग की जा रही है। मैं मेरे जायज काम के बदले इन लोगों को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मेरा इनके पुराना कोई लेनदेन नहीं है। कृपया उचित कार्यवाही करने की कृपा करे। एस. डी. पवन कुमार धाकड परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मजीद दरयाफ्त पर प्रार्थना पत्र स्वंय का हस्तलिखित होना बताते हुऐ प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य ही दोहराये व बताया कि रिश्वती राशि की बातचीत मुझसे पटवारी श्री जगदीश चंद द्वारा ही की जाएगी। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी ने बताया कि कल तो मुझे कुछ काम है मैं परसों पटवारी श्री जगदीश चंद से रिश्वत राशि की बातचीत करने जाउंगा। इस समय कार्यालय में उपस्थित श्री नरेश यादव कानि. को तलब कर परिवादी का परिचय करवाया गया। मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर परिवादी को चलाने व बंद करने की समझाईश की गई। श्री नरेश कानि. को हिदायत दी कि दिनांक 08.08.23 को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर परिवादी के साथ रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु जावे। परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर कार्यालय से रवाना किया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्ड वापस मालखाना में रखा गया। दिनांक 08.08.2023 समय 08:00 ए.एम. को मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाया जाकर मैमोरी कार्ड लगाया गया। श्री नरेश कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत की गई कि अटरु जाकर परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्ड ऑपरेट कराना समझावे, व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी के साथ तहसील कार्यालय, अटरु, जिला बारां पहुॅचकर रिश्वत मांग का सत्यापन की निगरानी करने की आवश्यक हिदायत कर श्री नरेश कानि. को रवाना किया गया। दिनांक समय 03:30 पी.एम. पर श्री नरेश कानि. 144 मय परिवादी श्री पवन कुमार धाकड मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि मैने परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी मुझे अटरु रेल्वे स्टेशन पर ही मिल गया था। जहॉ से मैं व परिवादी तहसील कार्यालय अटरु गये। तहसील कार्यालय से कुछ दुरी पहले ही मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी के सुपुर्द कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बंद करना समझा दिया था। इसके बाद परिवादी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर तहसील कार्यालय अटरु के अंदर चला गया था। थोडी देर बाद परिवादी बाहर आया। इस पर परिवादी से सत्यापन बाबत पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैंने तहसील कार्यालय में पहुॅचकर एकांत में रिकॉर्डर चालू कर अंदर चला गया था, जहॉ श्री जगदीश चंद पटवारी मिल गये थे। श्री जगदीश चंद पटवारी द्वारा मुझसे 25000रु रिश्वती राशि की मांग की गई तथा कहा कि तहसीलदार साहब बडे अधिकारी है 25000रु से कम नही लेंगे। मैं तहसीलदार जी से पांच बजे बात कर के आपको बता दूंगा। मैने सारी बातें डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। वहां से बाहर आकर मैने रिकॉर्डर बंद कर लिया था व बाहर आकर नरेश जी को दे दिया था। इस पर श्री नरेश कानि. से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा सुना गया तो परिवादी के बताये कथनों की पुष्टि हुई। रिकॉर्ड वार्तानुसार ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी ने बताया कि जैसे ही पटवारी जगदीश चंद मुझे रिश्वती राशि लेकर बुलाएगा मैं आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार आरोपी पटवारी श्री जगदीश चंद द्वारा रिश्वती राशि की मांग करने पर 20000रूपये लेकर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु व गोपनीयता की हिदायत कर रवाना किया गया ट्रेप कार्यवाही दिनांक 09.08.2023 को होने की संभावना होने से ट्रेप कार्यवाही हेतु बतौर स्वतंत्र गवाहों दो सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होने से कार्यालय की श्रीमति कीर्ति चौधरी महिला कानि. 253 को एक तहरीर महानिदेशक, जल संसाधन विभाग, आई.एम.टी.आई. कोटा के नाम जारी

कर अपने साथ दो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी लेकर आने की हिदायत कर रवाना किया गया। समय–04:00 पी.एम. पर श्रीमति कीर्ति चौधरी महिला कानि. 253 आई.एम.टी.आई. कोटा से अपने साथ श्रीमति निशा कुमारी मीणा, कनिष्ठ अभियंता तथा श्री मोहम्मद हसीब सूचना सहायक को लेकर उपस्थित कार्यालय आई। परिवादी पवन कुमार धाकड का उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिचय करवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह बनने की मौखिक सहमति प्रदान की। तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया जिस पर दोनों गवाहान ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को समझकर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक ने मन पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री पवन कुमार धाकड व स्वतंत्र गवाहान का परिचय करवाया तथा ट्रेप कार्यवाही की पत्रावली व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक के सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। समय–04:20 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, दोनों स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर अपने कक्ष में आया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मजीद दरयाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया। मन पुलिस निरीक्षक अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में मसरूफ हुआ। समयः–04:30 पी.एम. पर परिवादी श्री पवन कुमार धाकड व आरोपी श्री जगदीश चंद पटवारी के मध्य तहसील कार्यालय, अटरु में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड की थी, को श्री पवन कुमार कानि. 272 द्वारा लेपटोप में लगाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी द्वारा स्वयं व आरोपीगण की आवाज की पहचान की गई। गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पवन कुमार कानि. 272 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर वापस मालखाना में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 08.08.2023 समयः–07:40 पी.एम पर परिवादी श्री पवन कुमार धाकड ने बताया कि मेरे पास आरोपी पटवारी का फोन नहीं आया है, वह मुझे रात को फोन करेगा तो मै आपको सूचित कर दूंगा। ट्रेप कार्यवाही दिनांक 09.08.2023 को होने की संभावना होने से परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 09.08.2023 को समय 09:30 ए.एम. पर परिवादी श्री पवन कुमार धाकड उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि आरोपी पटवारी श्री जगदीश चंद ने मुझे फोन नहीं किया है, हो सकता है पटवारी जी ने तहसीलदार साहब से भी बात कर ली होगी। मैं उनसे मोबाईल फोन पर वार्ता कर लेता हूं। इस पर मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकाल गया। समय 09:38 ए.एम.पर परिवादी श्री पवन कुमार धाकड ने अपने मोबाईल नम्बर 8104863915 से आरोपी श्री जगदीश चंद के मोबाईल नम्बर 9799441610 पर कॉल कर वार्ता कि तथा पूंछा कि आपने तहसीलदार से मेरे मामले में बातचीत कर ली क्या इस पर आरोपी द्वारा कहा गया कि अभी पूरी बातचीत नही हुई है। इस पर परिवादी ने पूंछा कि मैं अटरु आ जाउं क्या इस पर आरोपी पटवारी जगदीश चंद ने कहा कि आप अटरु आ जाओ। उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। इस पर स्वतंत्र गवाहान तथा जाप्ता को कार्यालय आने हेतु बताया गया। समय 10:00 ए. एम. पर पूर्व के पाबंदशुदा गवाहान श्रीमति निशा कुमारी मीणा कनिष्ठ अभियंता व श्री मोहम्मद हसीब सूचना सहायक व एसीबी जाब्ता उपस्थित कार्यालय आये। समयः–10:20 ए.एम. पर परिवादी श्री पवन कुमार धाकड व आरोपी श्री जगदीश चंद पटवारी के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वार्ता जिसे डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, को श्री पवन कुमार कानि. 272 द्वारा लेपटोप में लगाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी द्वारा स्वयं व आरोपी की आवाज की पहचान की गई। गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पवन कुमार कानि. 272 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कर समय 10:50 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली राशि के पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री पवन कुमार धाकड ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000रूपये निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

क. सं.	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR 626361
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR 626362
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR 626363
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR 626364
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR 626365
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6NP 755702
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0AT328328
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0TR 505312
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9FG 915407
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7EQ 477372
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2KT163371
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2FV 450632
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6BA 765160
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6PW 870720
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0FV998754
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4BQ 689324
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3GC 420738
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7GD 726651
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9TW 977738
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5QQ 337220
21.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6AU 312728
22.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5TB 537969
23.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1HS 902568
24.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0NR 498835
25.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5NB 614588
26.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5KS283505
27.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9NM 961982
28.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4BB 270217
29.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0AB 751804
30.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5CQ859608
31.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7CP 335089
32.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7GD 049040
33.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0AV676020
34.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8KG 281068
35.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1EF 888391
36.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6MS 806054
37.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR 626357
38.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR626358
39.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR 626359
40.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR 626360

श्री गिरिराज कानि. 387 के द्वारा कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई एवं एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थिलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थिलीन पाउडर भलीभांति लगवाया गया। गवाह श्री मोहम्मद हसीब से परिवादी श्री पवन कुमार धाकड की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थिलीन पाउडर लगे नोटों को श्री गिरिराज कानि. 387 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई पेंट की बांयी जेब में रखवाये गये। ट्रेप बॉक्स में रखें कांच के एक गिलास में साफ पानी लेकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री गिरिराज कानि. 387 के फिनोफ्थिलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थिलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटों को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटो को अपनी पेंट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर या चश्मा पहनकर या मेरे मोबाईल पर मिस कॉल कर ईशारा करे। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को फिंकवाया गया। नोटों पर पावडर लगाने मे प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री गिरिराज कानि. 387 के दोनों हाथों को अच्छी तरह धुलवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री गिरिराज कानि. 387 से वापस मालखाने मे रखवाया गया। ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ पानी से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने एवं वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करे। फर्द पेशकशी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थ्लीन पाउडर पृथक से मुर्तिब की गई। समयः–12.06 पी.एम. पर परिवादी श्री पवन कुमार धाकड तथा श्री नरेश कानि. 144 को परिवादी की मोटरसाईकिल से अटरु के लिए रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान व एसीबी जाब्ता, श्री असलम खान सउनि, श्री पवन कुमार कानि. 272, श्रीमती कीर्ति महिला कानि. सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री विशेष कुमार मय,लेपटोप प्रिन्टर एंव ट्रेप कार्यवाही सामग्री के कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समयः–01.58 पी.एम.पर मन् पुलिस निरीक्षक, मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता, मय सरकारी वाहन बारां–अटरु स्टेट हाईवे, कस्बा अटरु से लगभग 01 कि.मी. पहले पहुॅचा। जहां आरोपी की लोकेशन जानने हेतु परिवादी श्री पवन कुमार धाकड के मोबाईल नम्बर 8104863915 से आरोपी श्री जगदीश चंद पटवारी के मोबाईल नम्बर 9799441610 पर कॉल कर वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने कहा कि मैं तहसील में बैठा हूं आप आ जाओ। उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। चूंकि आरोपी परिवादी को रिश्वत राशि लेकर तहसील कार्यालय अटरु के अंदर ही बुला रहा है। चूंकि तहसील कार्यालय रेल्वे स्टेशन अटरु के पास ही है अतः मन पुलिस निरीक्षक पूर्व अनुसार मय साथ लाए वाहनों के रवाना होकर रेल्वे स्टेशन परिसर अटरु के लिए रवाना हुआ समय :–02:10 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को डीवीआर चालू करवाकर परिवादी को पैदल–पैदल तहसील कार्यालय, अटरु के लिए रवाना किया मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता परिवादी के पीछे पैदल पैदल तहसील कार्यालय के लिए रवाना हुए। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व अन्य एसीबी जाब्ता कार्यालय तहसील अटरु के आस–पास उपस्थिति छुपाते हुये खडा किया। मन पुलिस निरीक्षक ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के इशारे का इंतजार करने लगा। समय :–02:52 पी.एम. पर परिवादी बिना कोई ईशारा किए मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया तथा बताया कि आरोपी श्री जगदीश चंद पटवारी तथा तहसीलदार तहसील कार्यालय में ही उपस्थित हैं तथा तहसीलदार साहब ने मेरे मामले के बारे में मुझसे वार्ता की तथा मुझे धमकाया तथा पटवारी श्री जगदीश चंद ने मुझे बाद में आने की कहकर वापस भेज दिया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने वाहन को सुरक्षित छुपाव वाले स्थान पर खडा करवाया तथा मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के रेल्वे स्टेशन अटरु पर मुकीम हुआ। चूंकि लगभग सांय के पांच बज चुके थे तथा आरोपी का फोन परिवादी के पास नही आया है इसलिए परिवादी को डीवीआर चालू करवाकर उसको पैदल–पैदल तहसील कार्यालय, अटरु के लिए रवाना किया मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता परिवादी के पीछे पैदल पैदल तहसील कार्यालय के लिए रवाना हुए। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व अन्य एसीबी जाब्ता कार्यालय तहसील अटरु के आस–पास उपस्थिति

छुपाते हुये खडा किया। मन पुलिस निरीक्षक ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के इशारे का इंतजार करने लगा। समय 05:18 पी.एम.पर परिवादी श्री पवन कुमार धाकड पुत्र मोहनलाल जाति धाकड उम्र 33 साल निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां ने कार्यालय तहसील अटरू के पीछे के गेट से बाहर आकर एक व्यक्ति से बातचीत करते हुये खडे होकर पूर्व निर्धारित इशारा अपने सिर पर हाथ फैरकर किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता व गवाहान के परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया एवम् सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को पास खडे एक अधेड उम्र के व्यक्ति जिसने क्रीम कलर की शर्ट व स्लेटी कलर की चैक पेंट पहन रखी थी, कि ओर ईशारा कर कहा कि ये ही जगदीश चंद पटवारी हैं जिन्होने अभी अभी मुझसे 20,000रू रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त की है ओर रिश्वत राशि अपनी पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखी है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने मय स्वतंत्र गवाहान उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत कराया तो उक्त व्यक्ति एकदम घबराकर पसीना पसीना हो गया। जिसको तसल्ली देकर उससे उसका परिचय पूछा तो अपना नाम श्री जगदीशचंद पुत्र छोगालाल जाति कुम्हार उम्र 58 साल निवासी ग्राम गंदोलिया, तहसील अटरू जिला बारां हाल पटवारी पटवार हल्का अंताना तहसील अटरू, जिला बारां होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी की ओर ईशारा करते हुऐ जगदीशचंद पटवारी से पूछा कि अभी अभी आपने परिवादी पवन कुमार से रिश्वत राशि प्राप्त की है? इस पर जगदीशचंद ने बताया कि मैने पवन कुमार से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। इसने इसकी मर्जी से इसकी रिपोर्ट को रफा दफा करने के लिए जबरदस्ती मेरी जेब में रख दिये है। इस पर परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये बताया कि दिनांक 06.07.2023 को मेरे गांव के राजाराम नागर ने मेरे खिलाफ चारागाह भूमि से बंबूल के पेड काटने की झूंठी शिकायत की थी। जिसकी जॉच इनके द्वारा की गई थी। दिनांक 20.07.2023 को तहसीलदार अटरू का नोटिस मुझे प्राप्त हुआ था। मैने उसी दिन नोटिस का जवाब दे दिया था। पटवारी जी ने मेरे बडे भाई से 5000रूपये भी ले लिये। 10--15 दिन पहले मै तहसीलदार जी से मिला तो उन्होनें मुझे झूंठे केस में फसाकर मेरी नौकरी खराब कराने की धमकी दी तथा पटवारी जी से मिला तो पटवारी जी ने मुझे 25000रूपये देकर मामला रफा दफा करने की कही। जिसकी शिकायत मैने आपके कार्यालय में की थी। दिनांक 08.08.2023 को पटवारी जी से मिला तो पटवारी जी ने मुझसे तहसीलदार से बात करके कम से कम 25000रूपये लेकर आने की कहा था। इन्होने कहा था कि वह तहसीलदार है पच्चीस हजार से कम में क्या मानेगा, मैने इनकी बातों को सरकारी वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। आज दिन में भी मै इनसे इनके कार्यालय में मिला तो इन्होने व तहसीलदार जी ने मुझे बहुत धमकाया तथा तहसीलदार जी ने कहा की उसमें तो एफ.आई.आर दर्ज होगी। मैने तहसीलदार जी से कहा कि मैने तो पेड ही नहीं काटे, तो तहसीलदार जी ने कहा कि तो फिर किसने काटे, मुझे नाम पता दे, तहसीलदार जी व पटवारी जी मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव बना रहे है, इन्होने उस समय पैसे नहीं लिये जब मै दुबारा इनके पास गया तो पटवारी जी ने कहा की तहसीलदार से मेरी गर्मागर्मी चल रही है मै उससे बाद में बात कर लूंगा। पॉच हजार रूपये पहले देने के कारण आज मैने इनके कहेअनुसार 20000रू इनके मांगने पर यहॉ आकर इनको दिये है जो पटवारी जी ने हाथ में लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई की पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रख लिये है।चूंकि परिवादी श्री पवन कुमार के कहेअनुसार जगदीशचंद पटवारी द्वारा परिवादी से 20000रू रिश्वत के मांग कर प्राप्त करने का उचित संदेह होने से हाथ धुलाई की कार्यवाही की जानी है। तहसील अटरू परिसर के आस पास सरकारी आवास होने व बाजार होने से आसपास के लोग इक्कटा हो जाने व आरोपी पटवारी स्थानीय होने तथा पटवार संघ का अध्यक्ष होने से ट्रेप कार्यवाही में व्यवधान होने की संभावना है। अतः आरोपी जगदीशचंद पटवारी का दाहिना हाथ श्री नरेश कानि. से एवम् बांया हाथ श्री असलम खान स.उ.नि. से कलाई के ऊपर से पकडवाकर यथास्थिति सरकारी वाहन बोलेरो की बीच की सीट पर बिठाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक आरोपी जगदीशचंद, परिवादी व गवाहान एंव जाप्ता को साथ लेकर पुलिस थाना अटरू, जिला बारां पहुंचा। जहॉ थानाधिकारी श्री रामगिलास गुर्जर मिले। जिन्हे परिचय देकर ट्रेप कार्यवाही हेतु कक्ष उपलब्ध कराने व रोजनामचा आम में आमद हेतु कहा तो थानाधिकारी ने पहले तो वायरलैस कक्ष उपलब्ध करवाया इस पर आरोपी श्री जगदीश चंद पटवारी को यथास्थिति सरकारी वाहन बोलेरो में से उतारा जाकर कार्यावाही हेतू थाने के मुख्य दरवाजे के सामने दांयी ओर बने वायरलेस कक्ष में लाया गया। वायरलेस कक्ष में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने व छोटा होने से पुनः थानाधिकारी को निवेदन किया गया तो थानाधिकारी द्वारा थाना परिसर में बने स्वागत कक्ष को उपलब्ध कराया। इस पर आरोपी को यथास्थिति स्वागत कक्ष में लाकर हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। थाना परिसर में रखे पानी के केम्पर से एक बोतल में साफ पानी मंगवाया गया। बोतल से दो साफ कांच के गिलासों में स्वच्छ पानी भरवाकरएक--एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया तो सभी हाजरीन ने घोल के

रंग अपरिवर्तित होना बताया। आरोपी जगदीश चंद, पटवारीके दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे पृथक पृथक दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्कRH–1, RH–2 अंकित किया गया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला आया जिसे पृथक पृथक दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH–1, LH–2 से अंकित किया। इसके बाद गवाह श्री मोहम्मद हसीब से श्री जगदीशचंद पटवारी की तलाशी लिवाई गई तो पहनी हुई पेंन्ट की साईड की दाहिनी जेब से पांच–पांच सौ रूपये के नोट मिले जिसको गवाह से गिनवाया गया तो पांच–पांच सौ रूपये के 40 नोट होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त नोटों का मिलान फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया। जिस पर दोनों गवाहान ने उक्त नोटों का मिलान फर्द पेशकशी नोट से कर कहा कि ये वही नोट हैं जिन पर कार्यालय में फिनोफ्थिलीन पाउडर लगाया था। बरामद नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न हैं–

क्र. सं.	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
41.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR 626361
42.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR 626362
43.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR 626363
44.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR 626364
45.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR 626365
46.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6NP 755702
47.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0AT328328
48.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0TR 505312
49.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9FG 915407
50.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7EQ 477372
51.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2KT163371
52.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2FV 450632
53.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6BA 765160
54.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6PW 870720
55.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0FV998754
56.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4BQ 689324
57.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3GC 420738
58.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7GD 726651
59.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9TW 977738
60.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5QQ 337220
61.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6AU 312728
62.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5TB 537969
63.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1HS 902568
64.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0NR 498835
65.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5NB 614588
66.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5KS283505
67.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9NM 961982
68.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4BB 270217
69.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0AB 751804
70.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5CQ859608

71.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7CP 335089
72.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7GD 049040
73.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0AV676020
74.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8KG 281068
75.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1EF 888391
76.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6MS 806054
77.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR 626357
78.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR626358
79.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR 626359
80.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR 626360

उक्त नोटों को कागज के सफेद लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया।इसके पश्चात एक कांच के साफ गिलास में पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। रिश्वत राशि आरोपी पटवारी की पहनी हुई पेंट की साइड की दाहिनी जेब से बरामद हुई है अतः श्री जगदीश चंद पटवारी को पहनने के लिए एक पजामा मंगवाकर दिया गया एंव पहनी हुई पेंट को उतरवाया जाकर पेंट की दाहिनी जेब को गिलास में बने घोल में डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, धोवन को पृथक–पृथक दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क पी–1 व पी–2 अंकित किया। पेंन्ट को सुखाकर जेब को पैन से मार्क कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलमोहर कर मार्क– पी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी के पेण्डिंग वर्क प्राप्त करने व परिवादी को दिये गये नोटिस के संबंध में तहसीलदार श्री योगेन्द्र यादव को फोन किया तो पहले तो फोन अटेण्ड नहीं किया, दुबारा फोन करने पर फोन रिसिव किया, मन पुलिस निरीक्षक ने तहसीलदार को उपस्थित आकर आरोपी पटवारी के सेवा विवरण व परिवादी के पेण्डिग वर्क संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने बाबत कहा तो थोडी में लेकर आना बताया, परन्तु काफी समय तक इंतजार करने के उपरांत तहसीलदार ट्रेप कार्यवाही स्थल पर उपस्थित नहीं आया तथा श्री योगेश कुमार नागर पुत्र श्री मोहनलाल जाति धाकड उम्र 30 वर्ष निवासी गोविन्दपुरा तहसील अटरू हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय अटरू उपस्थित आया व आरोपी का सेवा विवरण तथा परिवादी के पेड काटने संबंधी रिकॉर्ड पेश किया। रिकॉर्ड के अवलोकन से पाया गया कि पटवारी हल्का द्वारा अपनी जॉच में ग्राम अंताना की खसरा संख्या 933/1032 किस्म चारागाह भूमि में लगे हुये लगभग 22 बंबुल के पेड कटे होना अंकित किया है तथा मुताबिक ग्रामवासियों तथा प्रार्थी राजाराम पुत्र छोटूलाल निवासी अंताना ने बताया कि यह 22 पेड पवन कुमार द्वारा कटवाकर बेचे गये है। इसी रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा श्री पवन कुमार को नोटिस जारी करने हेतु लिखा है जिस पर तहसीलदार के दिनांक सहित हस्ताक्षर हो रहे है। चारागाह भूमि से पेड काटने तथा दिनांक 20.07.2023 को परिवादी द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के उपरांत भी अग्रिम कार्यवाही क्यो नहीं की गई, अतः श्री योगेन्द्र यादव, तहसीलदार तहसील अटरू की प्रकरण में संलिप्तता दीगर अनुसंधान के पश्चात् अनुसंधान अधिकारी द्वारा ही तय की जा सकेगी।

इसके बाद जगदीशचंद पटवारी द्वारा, परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पुनः पूछा तो बताया कि मैने पवन से पैसे नहीं लिये, उसने मेरी जेब में रख दिये। पेड किसने काटे मुझे पता नहीं लेकिन मौके पर पेड कटे हुये है। जब मै जॉच करने मौके पर गया तब तक मै इसे जानता भी नहीं था। मैने पवन के बडे भाई से कोई पैसे नही लिये है। मैने मेरी रिपोर्ट में किसी का नाम नही लिखा था केवल मौके पर पेड काटने वाली बात ही लिखी थी। पवन कुमार की नामजद शिकायत होने के कारण तहसीलदार जी ने नोटिस दिया था। मैने पवन कुमार धाकड से कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है। इनके व तहसीलदार जी के क्या बात हुई मुझे पता नहीं है।

उपरोक्त कार्यवाही से श्री जगदीशचंद पुत्र छोगालाल जाति कुम्हार उम्र 58 साल निवासी ग्राम गंदोलिया तहसील अटरू, जिला बारां हाल पटवारी पटवार हल्का अंताना, तहसील अटरू जिला बारां द्वारा परिवादी श्री पवन कुमार धाकड को चारागाह भूमि पर पेट काटने की शिकायत को रफा दफा करने की एवज में तहसीलदार अटरू से मिलीभगत कर 25000रूपये की मांग की गई। रिश्वत मांग के अनुसरण में रिश्वत राशि प्राप्त की गई। दौराने कार्यवाही परिवादी पवन कुमार से रिश्वत राशि 20,000रूपये प्राप्त करना, रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब से प्राप्त होना तथा आरोपी के दाहिने हाथ के धोवन का रंग गहरा गुलाबी प्राप्त

होना इत्यादि सम्पूर्ण तथ्यों से श्री जगदीशचंद, पटवारी के द्वारा जुर्म धारा 7 पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018 का अपराध करना पाया गया है। फर्द बरामदगी मुर्तिब की गई। समय 08:45 पी.एम पर परिवादी श्री पवन कुमार धाकड व आरोपी श्री जगदीश चंद पटवारी, पटवार हल्का अंताना, तहसील अटरु जिला बारां के मध्य हुई मोबाईल वार्ता समय 1.58 पी.एम. दिनांक 09.08.2023 को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से सरकारी लेपटोप में लगाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान व आरोपी को सुनाया गया। परिवादी ,गवाहान, आरोपी की उपस्थिति मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पवन कुमार कानि. 272 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09:00 पी.एम. पर परिवादी श्री पवन कुमार धाकड व आरोपी श्री जगदीश चंद पटवारी, पटवार हल्का अंताना, तहसील अटरु जिला बारां के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सरकारी लेपटोप में लगाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान व आरोपी को सुनाया गया। परिवादी ,गवाहान, आरोपी की उपस्थिति मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पवन कुमार कानि. 272 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये।
दिनांक 10.08.23 को समय 12:35 ए.एम पर परिवादी श्री पवन कुमार धाकड व आरोपी श्री जगदीश चंद पटवारी, के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सरकारी लेपटोप में लगाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान व आरोपी को सुनाया गया। परिवादी ,गवाहान, आरोपी की उपस्थिति मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पवन कुमार कानि. 272 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 01:50 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहों के वास्ते निरीक्षण घटनास्थल वाहन सरकारी से रवाना हुआ। आरोपी को जाब्ता की निगरानी में छोडा गया। समय 02:00 ए.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहों के घटनास्थल तहसील कार्यालय अटरू पहुँचा। जहाँ रोड लाईट की रोशनी में परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। समय 02:40 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहों के बाद निरीक्षण घटनास्थल तहसील कार्यालय अटरू वापस थाना अटरू आया। समय 03:00 ए.एम. पर आरोपी श्री जगदीश चंद पटवारी, पटवार हल्का अंताना, तहसील अटरु जिला बारां को अपनी आवाज का नमूना देने बाबत् नोटिस जरिये कार्यालय पत्रांक एसपीएल दिनांक 09.08.2023 द्वारा दिया गया। जिस पर आरोपी ने एक प्रति पर लिखित में अपनी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नही देने बाबत् जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समय 03:20 ए.एम पर आरोपी श्री जगदीश चंद को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मोहम्मद हसीब से लिवाई गई तो आरोपी के पास पर्स व एक मोबाईल एम.आई. कम्पनी का मिला। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके पुत्र श्री हेमन्त कुमार को दी गई तथा जामा तलाशी का सामान भी उसके पुत्र श्री हेमन्त कुमार को दिया गया। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार मुर्तिब की गई।

ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के यूएसबी पोर्ट में खराबी आने के कारण कार्यालय के लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होने से फर्द डबिंग की कार्यवाही मौके पर नही की जा सकी। समय 11.30 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, आरोपी व एसीबी जाब्ता मय जब्तशुदा आर्टीकल्स मय वाहन सरकारी के रवाना हुआ। इस आशय की रपट थाना अटरू जिला बारां के रोजनामचा आम में दर्ज करवाई गई। समय 1.30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक पूर्व का रवानाशुदा मय हमराहीयान चौकी हाजा पर उपस्थित आया। जप्तशुदा रिश्वत राशि 20,000 रू का लिफाफा, धोवन की शीशियां मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2, एल.एच.–1, एल.एच.–2, पी.–1, पी.–2 व पैकिट मार्क "पी" को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। समय 02:46 पी.एम.पर दिनांक 08.08.2023 व दिनांक 09.08.2023 को परिवादी श्री पवन कुमार व आरोपी जगदीश चंद के मध्य हुई वार्ताओं जिन्हे डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, उक्त डीवीआर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड को निकालकर अन्य उपकरण(कार्ड रीडर) में लगाकर कार्यालय के सरकारी लैपटॉप से उक्त वार्ताओं की पृथक–पृथक हैश वैल्यू की गणना कर चार पैन ड्राईव तैयार करवाई गये। उक्त पैन ड्राईव को अलग अलग कपडे की थैली में रखे जाकर शील्ड मोहर किया गया। एक पैन ड्राईव बतौर वजह सबूत न्यायालय के लिए, एक पैन ड्राईव आरोपी के लिए एंव एक पैन ड्राईव एफएसएल

से नमूना आवाज मिलान के लिए अलग–अलग कपड़े की थैली में रखी जाकर सील मोहर की गई एवं कपडे की थेली पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड को बतौर वजह सबूत प्लास्टिक की थैली में रखकर,प्लास्टिक की थैली को एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। शील्डशुदा पैन ड्राईव व मैमोरी कार्ड को कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द डबिंग मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। परिवादी को बाद ट्रेप कार्यवाही सकुशल रूखसत किया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को कार्यवाही पूर्ण होने से रूकसत किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री जगदीश चंद पुत्र श्री छोगालाल जाति कुम्हार उम्र 58 साल निवासी ग्राम गंदोलिया तह. अटरु जिला बारां हाल पटवारी पटवार हल्का अंताना तहसील अटरु जिला बारां द्वारा परिवादी श्री पवन कुमार धाकड से उसके विरूद्ध चारागाह भूमि में पेड काटने की शिकायत की एवज में 25,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। आरोपी द्वारा परिवादी के बडे भाई से 5,000रु पूर्व में प्राप्त किए तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार आरोपी को 20,000रू रिश्वत राशि लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के दांये हाथ के धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त होना, रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब से बरामद होने इत्यादी सम्पूर्ण तथ्यों से आरोपी श्री जगदीश चंद के विरूद्ध धारा 7 पी.सी. एक्ट (यथा संशोधित) 2018 का अपराध प्रमाणित पाया गया। श्री योगेन्द्र यादव, तहसीलदार अटरू की भूमिका संदिग्ध है जो अनुसंधान से स्पष्ट हो सकेगी। उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(पृथ्वीराज मीणा)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा देहात

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पृथ्वीराज मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जगदीश चंद पुत्र श्री छोगालाल, हाल पटवारी पटवार हल्का अंताना, तहसील अटरू, जिला बारां के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 218/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

10.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक:-2558-61 दिनांक 10.08.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. जिला कलक्टर, बारां।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा।

10.8.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।